



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3072]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/भाद्र 27, 1941

No. 3072]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/BHADRA 27, 1941

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशनों को स्थापित करना।

**का.आ.3358(अ).**—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशनों को स्थापित करने के लिए नीचे दी गई तालिका में यथा उल्लिखित परिवर्तन शुल्क को एतद् द्वारा अधिसूचित करता है:

(प्लॉट क्षेत्रफल आधार पर प्रति वर्ग मीटर रुपये)

विवरण	पेट्रोल पम्प हेतु परिवर्तन शुल्क	सीएनजी स्टेशन हेतु परिवर्तन शुल्क (कॉलम 2 का 50 %)	इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग (ईवीसी) स्टेशन हेतु परिवर्तन शुल्क (कॉलम 2 का 5 %)
1	2	3	3
रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि	क) हरित पट्टी- 4400/- रु. ख) राजमार्ग- 8800/- रु.	क) हरित पट्टी- 2200/- रु. ख) राजमार्ग- 4400/- रु.	क) हरित पट्टी- 220/- रु. ख) राजमार्ग- 440/- रु.
रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में शहरी क्षेत्र (शहरीकरण योग्य क्षेत्रों सहित) में निजी भूमि	क) शहरी क्षेत्र (शहरीकरण योग्य क्षेत्रों सहित) 17600/-रु. ख) राजमार्ग- 17600/-रु.	क) शहरी क्षेत्र (शहरीकरण योग्य क्षेत्रों सहित) 8800/-रु. ख) राजमार्ग- 8800/-रु.	क) शहरी क्षेत्र (शहरीकरण योग्य क्षेत्रों सहित) 880/-रु. ख) राजमार्ग- 880/-रु.

**नोट:-**

- (i) यदि सी.एन.जी. स्टेशन एवं ई.वी.सी. स्टेशन के लिए संयुक्त उपयोग की अनुमति मांगी जाती है, तो लिया जाने वाला अनुप्रयोज्य उपयोग परिवर्तन शुल्क, पेट्रोल पम्प पर लागू परिवर्तन शुल्क का 25% होगा।
  - (ii) यदि पेट्रोल पम्प एवं सी.एन.जी. स्टेशन के लिए संयुक्त उपयोग की अनुमति मांगी जाती है, तो लिया जाने वाला अनुप्रयोज्य उपयोग परिवर्तन शुल्क, पेट्रोल पंप पर लागू परिवर्तन शुल्क का 75% होगा।
2. उपयोग परिवर्तन प्रभार का भुगतान या तो एकमुश्त राशि में अथवा चार समान तिमाही किस्तों में किया जा सकता है। नियत तिथि पर किस्त के किसी भुगतान में विलंब होने पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाया जाएगा।
  3. पात्र भू-स्वामियों को पंजीकरण के समय प्रक्रिया शुल्क के लिए 10000/- रुपये (अप्रतिदेय) का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

[फा. सं. एफ. 5(8)2019/ए.ओ.(पी)/डीडीए]

डी सरकार, आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2019

**Setting up of Fuel Stations on privately owned Lands in National Capital Territory of Delhi.**

**S.O. 3358(E).**—In exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, hereby notifies the conversion fee for setting up of Fuel Stations on privately owned Lands in National Capital Territory of Delhi as elaborated in the table hereunder:

( Rs. Per Sq mtr on plot area basis)

Particulars	Conversion fee for petrol pump	Conversion fee for CNG station (50% of Col.2)	Conversion fee for Electric Vehicle Charging (EVC) station (5% of Col.2)
1	2	3	3
<b>Private land in Rural areas in NCT of Delhi</b>	a) Green Belt - Rs. 4400/- b) Highway -Rs. 8800/-	a) Green Belt - Rs. 2200/- b) Highway -Rs. 4400/-	a) Green Belt - Rs.220/- b) Highway- Rs 440/-
<b>Private land in urban area including urbanisable areas in NCT of Delhi</b>	a) Urban area including urbanisable area - Rs.17600/- b) Highway-Rs. 17600/-	a) Urban area including urbanisable area -Rs. 8800/- b) Highway-Rs. 8800/-	a) Urban area including urbanisable area - Rs. 880/- b) Highway-Rs. 880/-

Note:-

i) In case the permission is sought for combined use as CNG station as well as EVC station, the applicable use conversion fee will be 25% of those applicable for petrol pump.

ii) In case the permission is sought for combined use as Petrol pump as well as CNG station, the applicable use conversion fee will be 75% of those applicable for petrol pump.

2. The payment of use conversion fee may be made either lump sum or in four equal quarterly installments. The delay in making any payment of installment on due date, shall carry simple interest @ 8% per annum.

3. The eligible land owners shall be required to pay a sum of Rs.10000/-(non-refundable) towards processing fee at the time of registration.

[F. No. F.5(8)2019/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.